बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

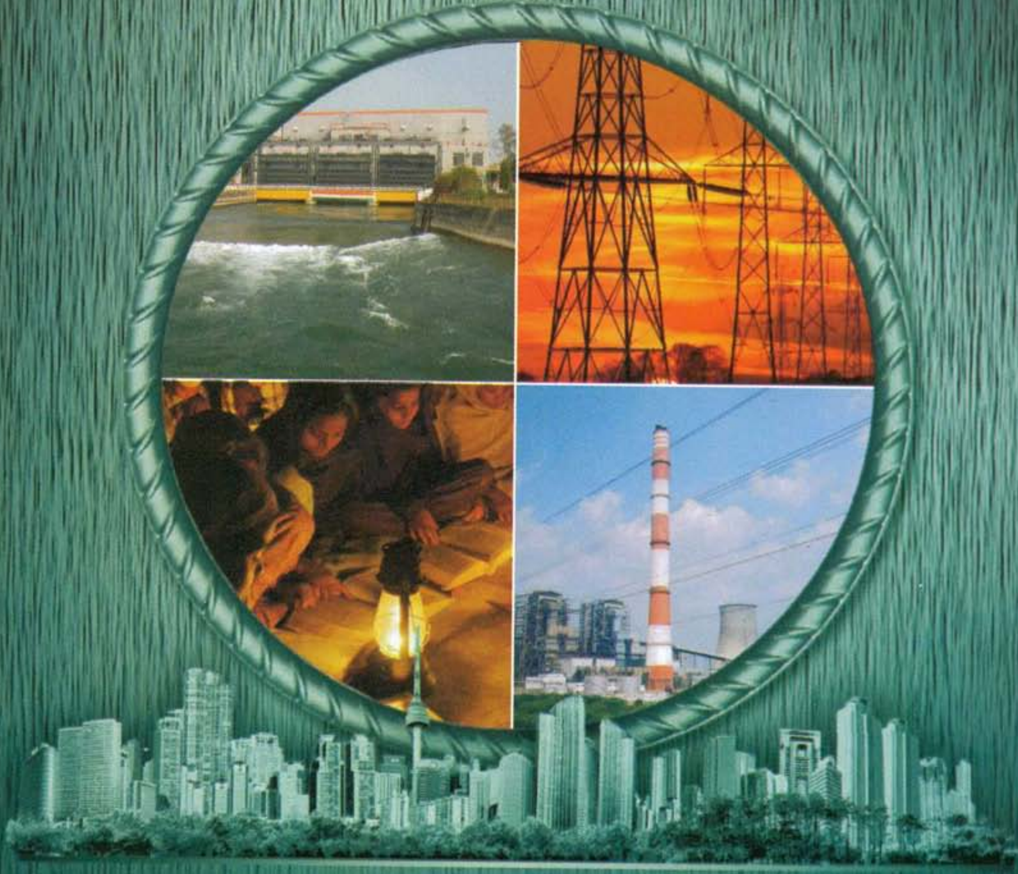

वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2012

विद्युत आत्म निर्भरता की राह पर हमारा बिहार...

बथनाहा जल विद्युत परियोजना (4X2 मेगावाट)

बिहार सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन

2011-12

ऊर्जा विभाग, बिहार

प्रस्तुति

राज्य के चहुमुखी विकास के लिए उस राज्य के ऊर्जा एवं उसके श्रोतों का विकास अनिवार्य है। वर्त्तमान कम्प्युटर युग में ऊर्जा के बिना किसी मानव सभ्यता के आधुनिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऊर्जा की उपलब्धता एवं खपत जनमानस के आर्थिक विकास का समानुपाती होता है। विश्व के विभिन्न देशों में ऊर्जा के उपभोग का सूचकांक वहाँ के चहुँमुखी विकास की गति एवं उन्नति को परिलक्षित करता है।

विगत वर्षो में सरकार ने जन आकाक्षाओं के अनुरुप राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने एवं बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाकर उत्पादन एवं विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है।

राज्य में विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। सरकार विद्युत स्थिति में सुधार हेतु गम्भीर प्रयास कर रही है। निरन्तर बढ़ती मांग के अनुरूप वर्त्तमान में विद्युत उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में बिजली की कमी है। अभी राज्य विद्युत के लिए मुख्यतः केन्द्रीय प्रक्षेत्र पर निर्भर है। केन्द्रीय प्रक्षेत्र से 1772 मेगावाट का आवंटन है जिसके विरूद्ध औसत उपलब्धता मात्र 900 मेगावाट है। राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सितम्बर, 2011 से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का क्रय किया जा रहा है, मार्च 2012 से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्रय करने का प्रस्ताव है।

राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता हेतु बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान (2×110 MW) एवं मुफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान (2×110 MW) का आर0 एण्ड एम0 किया जा रहा है, जिसे मार्च 2013 तक पुरा कर लिया जाएगा।

कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड जो एन0टी0पी0सी0 एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संयुक्त उपक्रम के तहत दो इकाई 2×195 MW मेगावाट का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/एन0टी0पी0सी0 का संयुक्त उपक्रम नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा नवीनगर में 3×660 MW मेगावाट कुल 1980 मेगावाट जिसे राज्य को 1373.50 मे0वा0 बिजली प्राप्त होगी, निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त पीरपैंती–1320 मेगावाट, कजरा–1320 मेगावाट, चौसा–1320 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा Coal linkage प्राप्त

करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन परियोजनाओं से 85 प्रतिशत बिजली प्राप्त होने का अनुमान है।

संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 28 अदद् नये ग्रीड उपकेन्द्र का निर्माण तथा क्षमता विस्तार किया जा रहा है।

वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 51 स्थानों पर विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

12712 किलोमीटर पुराने एवं जर्जर तार को बदला जा चुका है। शेष लगभग 12,000 कि0मी0 पुराने एवं जर्जर तारों को 3 वर्ष के अन्दर बदलने का लक्ष्य है।

प्रभावी ऊर्जा लेखांकण एवं ऊर्जा की चोरी रोकथाम के लिए शत–प्रतिशत कन्ज्यूमर मीटरिंग का कार्य प्रगति पर है। इसे मार्च 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

उपभोक्ताओं को सुविधा हेतु बैंक के डेबिट कार्ड एवं सहज सुविधा केन्द्र द्वारा विद्युत विपत्र भुगतान की व्यवस्था की गई है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रान्सफॉर्मरों को 24 / 72 घंटे में बदलने का लक्ष्य कार्यान्वित किया जा रहा है।

राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत छुटे हुए टोलों तथा शत–प्रतिशत बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 20 जिलों का डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया, जिसमें 16 / 25 के0भी0ए0 का ट्रान्सफॉर्मर के बदले 63 के0भी0ए0 एवं 100 के0भी0ए0 का ट्रान्सफॉर्मर का प्रावधान किया गया है। आठ (8) जिलों का डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुका है।

अपारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र संवर्द्धन नीति–2011 के निर्धारण से अपारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र में अनेक बायोमास आधारित एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम को डी0डी0जी0 कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूर ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसके द्वारा 71 ग्रामों का डी0पी0आर0 बनाया गया है, जिन्हें शीघ्र स्वीकृति मिलने की सम्भावना है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा कई लघु जल विद्युत उत्पादन गृह का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2011–12 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के विकास में उत्प्रेरक सिद्ध होगा।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव
ऊर्जा मंत्री,
बिहार सरकार

राज्य का ऊर्जा प्रक्षेत्र

राज्य में ऊर्जा प्रक्षेत्र में विभाग के नियंत्रणाधीन दो उपक्रम यथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम है तथा एक तेनूघाट विद्युत निगम के स्वामित्व का मामला न्यायालय में लंबित है, जिनके द्वारा विद्युत उत्पादन एवं विकास का कार्य होता है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास का कार्य बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) द्वारा किया जा रहा है।

ऊर्जा प्रक्षेत्र का संगठन

(क) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन वर्ष 1958 में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अधीन राज्य में विद्युत प्रक्षेत्र के विकास हेतु किया गया। बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का कार्यक्षेत्र बिहार राज्य के सीमान्तर्गत रह गया है।

(ख) बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना वर्ष 1982 में जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के अनुसंधान, संगठन, समन्वय एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य से विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 15 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किया गया है।

(ग) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1987 में तेनुघाट ताप विद्युत परियोजनाओं के कालबद्ध त्वरित निर्माण, संचालन एवं संधारण के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया गया है। राजय विभाजन की पृष्ठभूमि में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के स्वामित्व को केन्द्र सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार को आवंटित किए जाने के निर्णय के विरूद्ध बिहार सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया है।

(घ) राज्य में अपराम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, प्रचार–प्रसार एवं तत्संबंधी कार्यक्रमों की तीव्रता एवं तत्परता से लागू करने के उद्देश्य से, भारत सरकार के परामर्श के आलोक में सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत वर्ष 1987 में बिहार रिन्युएबुल डेवलपमेन्ट एजेन्सी का गठन किया गया। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रम के तहत प्रमुख रूप से बायोगैस, उन्नत चुल्हा, सौर ऊर्जा तथा पवन पम्प की परियोजनाएँ चलायी जा रही है।

(च) ऊजा्र विभाग के अन्तर्गत मुख्य विद्युत अभियंता के अधीन विद्युत कार्य संगठन कार्यरत है। राज्य के अन्तर्गत सरकारी भवनों के आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य, विद्युत संयंत्रों का अधिष्ठापन एवं रख–रखाव विद्युत कार्य संगठन द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अधीन एक विद्युत कार्य अंचल पटना में कार्यरत है तथा तीन विद्युत कार्य प्रमण्डल पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित है।

(छ) इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन में जनसुरक्षा एवं विद्युत वितरण संबंधी विवादों के निपटारे की दृष्टि से विद्युत निरीक्षणालय गठित किया गया है, जिसके प्रचार में मुख्य विद्युत निरीक्षक है।

बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.1958 को किया गया । बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य के विद्युत उत्पादन, संचरण तथा वितरण प्रणालियों के विकास तथा अनुश्रवण का उत्तरदायित्व दिया गया है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड इस दिशा में सतत् प्रयासरत रहा है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्श 2011–12 का निम्न है:–

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–12

वित्तीय वर्ष 2011–12 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का योजना उदव्यय 1795.95 करोड़ रूपये है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय सम विकास योजना पर रू0 876.39 करोड़, राज्य योजना एवं अन्य के अन्तर्गत 919.56 करोड रूपये का प्रावधान है।

विद्युत आवंटन

राज्य के विकास में उर्जा प्रक्षेत्र की अहम् भूमिका है। विद्युत प्रक्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। सरकार विद्युत स्थिति में सुधार हेतु गम्भीर प्रयास कर रही है। निरन्तर बढ़ती जा रही मांग के अनुरूप वर्तमान में विद्युत उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में बिजली की कमी है। अभी राज्य, विद्युत के लिए मुख्यतः केन्द्रीय प्रक्षेत्र पर निर्भर है। केन्द्रीय प्रक्षेत्र से अधिकतम 1772 मेगावाट का आवंटन है जिसके विरूद्ध औसत उपलब्धता मात्र 900–1000 मेगावाट रहता है। विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु सतत प्रयास जारी हैं। बिजली उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए सितंबर' 2011 से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का क्रय बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। मार्च 2012 से 500 मे0वा0 क्रय करने का प्रस्ताव है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वर्त्तमान विद्युत आवंटन

क्र0 सं0	केन्द्रीय उपक्रम	क्षमता (मेगावाट में)	बिहार को अवांटन प्रतिशत	मेगावाट
1.	एन0 टी0 पी0 सी0			
	फरक्का ताप विद्युत केन्द्र	1600	29.15	466.40
	कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र–1	840	40.27	338.27
	कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र–2	1500	6.67	100.00
	तालचर ताप विद्युत केन्द्र	1000	39.79	397.90
2.	चूखा जल विद्युत परियोजना	270	29.62	80.00
3.	ताला जल विद्युत परियोजना	1020	25.50	260.10
4.	एन0 एच0 पी0 सी0 रंजीत जल विद्युत परियोजना	60	35.00	21.00
5.	तिस्ता जल विद्युत परियोजना	510	21.26	108.43
		योग		1772.00

जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की उपलब्धता मौसम पर निर्भर रहता है। आगामी विद्युत परियोजनाओं से संभावित विद्युत आवंटन की मॉग केन्द्र सरकार से की जा रही है।

विद्युत उत्पादन

वर्तमान में बिहार में विद्युत उत्पादन हेतु मुख्यतः दो तापीय विद्युत प्रतिष्ठान यथा बरौनी तापीय विद्युत प्रतिष्ठान एवं मुजफ्फरपुर तापीय विद्युत प्रतिष्ठान की ईकाईयाँ रह गयी है। इन प्रतिष्ठानों की ईकाईयाँ काफी पुरानी हो चुकी है। उनके उत्पादन को राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए वृहत् संरक्षण की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन में सुधार हेतु बरौनी एवं मुजफ्फरपुर तापीय विद्युत प्रतिष्ठान के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

बरौनी ताप विद्युत केन्द्र की इकाई सं0–6 एवं 7 (2×110 मेगावाट)

जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के प्रथम चरण में बन्द पड़े ईकाई संख्या 6 को पुर्नस्थापन के पश्चात् चालू किया गया। वर्तमान में यह ईकाई कार्यरत है, एवं इससे लगभग 40 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने 15 मार्च 2012 से इसे बंद करने का निर्णय लिया है ताकि ईकाई संख्या 6 का भी जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण ईकाई संख्या 7 के साथ शीघ्रतापूर्वक संपन्न किया जा सके। बरौनी की ईकाई संख्या 6 एवं 7 के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्यो हेतु योजना आयोग, भारत सरकार ने कुल 581.20 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार भेल को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। सामान/उपक्रम अंशतः कार्य स्थल पर पहुँच चुका है तथा प्रमुख उपक्रम का डिस्मेन्टलिंग कार्य अंशतः पूरा कर दिया गया है। सिविल तथा बी0ओ0पी0 कार्य प्रगति में है। भेल द्वारा दिए गए अद्यतन आश्वासन के अनुसार ईकाई संख्या 7 का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य नवम्बर 2012 तक संपन्न किया जाना है। कार्यो को समयानुसार संपन्न कराने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार, केन्द्रीय विकास प्राधिकरण, ऊर्जा मंत्रालय एवं योजना आयोग स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है।

मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र की इकाई सं०–1 एवं 2 (2×110 मेगावाट)

मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह को कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (जो एन0टी0पी0सी0 एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संयुक्त उपक्रम है) को हस्तानान्तरित किया गया। जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के प्रथम चरण में बंद पड़े ईकाई संख्या 2 को पुर्नस्थापन कर चालू किया गया है।

मुजफ्फरपुर की ईकाई संख्या 1 एवं 2 का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्यो हेतु योजना आयोग, भारत सरकार ने कुल 471.80 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है ।

नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार के बाद एक–एक कर चारों यूनिट मार्च, 2013 तक आने की उम्मीद है।

विद्युत परियोजना का क्षमता विस्तार

बरौनी एवं मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह का क्षमता विस्तार प्रस्तावित है। बरौनी ताप विद्युत गृह के क्षमता विस्तार की परियोजना राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। बरौनी तथा मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह के क्षमता विस्तार हेतु निम्नांकित परियोजनाएँ प्रस्तावित हैः-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मेगावाट)	परियोजन की राशि (करोड़ रूपया)
1.	मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह का क्षमता विस्तार	2×195	3344.68
2.	बरौनी ताप विद्युत गृह का क्षमता विस्तार	2×250	3666.06

मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह के प्रथम चरण विस्तार 2×195 मेगावाट (स्टेज -II)

- मुजफ्फरपुर में 2×195 मेगावाट क्षमता का विस्तार परियोजना KBUNL के द्वारा 3344.68 करोड़ रूपये की लागत पर निर्मित होने जा रहा है। विस्तार परियोजना का वित्त पोषण 30 प्रतिशत हिस्सा पूँजी तथा 70 प्रतिशत ऋण से उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- मेन प्लांट कान्ट्रैक्ट भेल को 1153.53 करोड़ रूपये की लागत पर दिनांक 12.03.2010 को दिया गया है। Boiler erection का कार्य दिनांक 30.08.2011 से चल रहा है। NTPC को 55.00 करोड़ रूपये की लागत पर कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया है। सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज का कार्यादेश दिनांक 14.09.2010 को जारी कर दिया गया है, जिसका काम प्रगति पर है।
- CWC ने बूढ़ी गंडक से वाटर लिंकेज (30 क्यूसेक) की सहमति दिनांक 09.02.2010 को प्रदान कर दी है। 2.2 MMTPA कोयले की आपूर्ति इस्टर्न कोल फिल्ड से मिलने की सहमति दिसम्बर 2008 में मिल चुका है। PPA दिनांक 22.01.2010 को हस्ताक्षर हो गया है।
- कुल 31 पैकेज में 21 पैकेज का कार्यादेश निर्गत हो चुका है तथा बाकी 10 पैकेज का कार्यादेश निर्गत होने की प्रक्रिया में है।

बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार योजना 2×250 मेगावाट

बिहार सरकार ने राज्य योजना के अंतर्गत बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में 2×250 मेगावाट प्लांट की स्थापना हेतु सहमति दी है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मेसर्स DCPL द्वारा तैयार की गयी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3666.06 करोड़ रूपये (भूमि अधिग्रहण लागत के साथ) है।

इस परियोजना के विभिन्न डेवलपमेंट कार्यो के लिए मेसर्स बी0पी0आई0सी0 को कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया है। मेसर्स BARSYL लिमिटेड को रेलवे कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया है। भेल को इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 11.03.2011 को लेटर ऑफ इन्टेन्ट निर्गत किया गया तथा 24.11.2011 को Agreement Sign किया गया। इस परियोजना के कार्यान्वयन निरीक्षण हेतु मेसर्स स्टैग को परामर्शी नियुक्त किया गया है। इस प्लांट के कोल लिंकेज के लिए आवश्यक राशि (5 लाख रूपये) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को जमा करा दी गयी है। कोल लिंकेज की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्रतीक्षित है। इस प्लांट के चिमनी ऊँचाई 275 मीटर के लिए विमान एवं उड्डयन विभाग से अनापत्ति (NOC) प्रमाणपत्र प्राप्त है। इस परियोजना को 70 प्रतिशत बाजार ऋण के द्वारा एवं 30 प्रतिशत हिस्सा पूँजी बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण किया जाना है, इस परियोजना के लिए रू0 2898.00 करोड़ रूपये ऋण के लिए PFC के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित कर लिया गया है।

बी0टी0पी0एस0 तथा एम0टी0पी0एस0 के विस्तार योजनाओं की कमीशनिंग 2014-15 तक होने की संभावना है।

नई विद्युत परियोजनायें

राज्य योजना के अन्तर्गतः–

1. नवीनगर में नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा एन0टी0पी0सी0 की 50:50 की ज्वाइंट भेन्चर कम्पनी है जो 12964.577 करोड़ रूपये की लागत पर 3×660 मेगावाट विद्युतीय ताप परियोजना का निर्माण करेगा इसमें कार्य प्रगति की देख–रेख हेतु एन0टी0पी0सी0 को 120.00 करोड़ रूपये की लागत पर कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया है। करीब 2832 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है, जिसके लिए 173.00 करोड़ रूपये जिला प्रशासन को जमा कर दिया गया है। 125 क्यूसेक पानी सोन नदी से लेने की सहमति CWC ने 11.08.2010 को दे दी है। 11.25 MMTPA कोयला आपूर्ति नार्थ करनपुरा कोल फिल्ड से देने की सहमति मार्च, 2010 में मिल गयी है। नवीनगर की ईकाईयाँ 12th प्लान (2015–16) में आने की उम्मीद है। इस प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली का आवंटन ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 69.37% बिजली बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 05.01.2011 को नवीनगर स्टेज–2 के अन्तर्गत दो ईकाईयों (2×660 मेगावाट) के लिए NTPC के साथ PPA किया गया है। इस प्लांट से 75% बिजली बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को प्राप्त होगी। वर्ष 2011–12 में 666.99 करोड़ रूपये राशि का व्यय करने का प्रस्ताव है। STG पैकेज का कार्यादेश 06.07.2011 को M/s Alstorn Bharat Forge को निर्गत किया जा चुका है। SG पैकेज का कार्यादेश शीध्र ही निर्गत किया जाएगा।

2 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में बिहार पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, पटना का गठन किया है, जिसके द्वारा राज्य में विद्युत स्थलों का चयन कर प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा द्वारा न्यूनतम दर पर उत्पादन कर्त्ता एजेंसी का चयन किया जायगा। इस कम्पनी द्वारा अभी तक निम्नलिखित तीन स्थलों का चयन किया गया हैः–

1.	पीरपैंती, जिला – भागलपुर	2×660 मेगावाट
2.	चौसा, जिला – बक्सर	2×660 मेगावाट

भू–अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इन विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु निविदा आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोल लिंकेज के बिना adequate response नहीं मिला। इन परियोजनाओं से बिहार को 85 प्रतिशत बिजली प्राप्त होने का प्रावधान है। इन परियोजनाओं के कोल लिंकेज के लिए केन्द्र सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

3. विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में भी निवेशकों को मंजूरी दी गयी है इसके अन्तर्गत छः कम्पनियों मेसर्स JAS इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर द्वारा बाँका (भागलपुर) में 2640 मेगावाट, मेसर्स नालन्दा पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा पीरपैंती (भागलपुर) में 2000 मेगावाट, मेसर्स गंगा पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, कोलकाता द्वारा पीरपैंती (भागलपुर) में 1320 मेगावाट, मेसर्स इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, संग्रामपुर द्वारा पूर्वी चंपारण में 1320 मेगावाट, मेसर्स ए0ईएस0 इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, गुड़गाँव द्वारा जगदीशपुर (भागलपुर) में 1320 मेगावाट तथा मेसर्स मिराच पावर प्राईवेट लिमिटेड, गुडगाँव द्वारा लखीसराय में 1320 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। उपर्युक्त सभी परियोजना 12th प्लान में आने को सम्भावित है।

4. **राज्य में केस–I** बिडिंग के तहत् मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड एवं मेसर्स जी0एम0आर0 कमालंगा एनर्जी लिमिटेड से क्रमशः 750 मेगावाट एवं 260 मेगावाट बिजली का दीघ्रकालिक क्रय के लिए एकरारनामा किया जा चुका है। 450 मेगावाट बिजली जुलाई 2014 से एवं 560 मेगावाट बिजली नवम्बर 2015 से उपलब्ध होगा।

संचरण :–

- संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार कार्य दो चरणों में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है।
- योजना के प्रथम चरण के लिए 552 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके तहत 17 ग्रीड सब स्टेशन, एक पावर सब स्टेशन एवं 876 किलो मीटर संचरण लाईन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ।
- योजना के चरण II, भाग–I के अन्तर्गत 1005.72 करोड़ रूपये की योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है। इसके तहत 7 नये ग्रिड उपकेन्द्र, 18 अदद पुराने ग्रिड उपकेन्द्रो का क्षमता विस्तार (990 एम0भी0ए0) तथा 1015 सर्किट कि0मी0 संचरण लाईन का निर्माण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
- योजना के चरण II, भाग – II के अन्तर्गत 1240.86 करोड़ रूपये की योजना का कार्य प्रगति पर है। इसके तहत 6 नये ग्रिड उपकेन्द्र तथा 11 पुराने ग्रिड उपकेन्द्रो का क्षमता विस्तार (420 एम0भी0ए0) तथा 687 सर्किट कि0मी0 संचरण लाईन का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
- राज्य योजना अन्तर्गत शेरघाटी में 2×20 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण संबंधित लाईन के साथ किया गया है तथा पॉच नये ग्रिड सब स्टेशन यथा जन्दाहा (वैशाली), टेहटा (जहानाबाद), इमामगंज (गया), एकमा (सारण), तथा करबिगहिया (पटना) में संबंधित संचरण लाइन के साथ निर्माण किया जा रहा है।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

बिहार में सभी 38 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत किया जा रहा है। 38 जिलों में से 24 जिलों (अररिया, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, गया, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सारण, सिवान, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर तथा वैशाली) में विद्युतीकरण का कार्य पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 6 जिलों (दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण) में विद्युतीकरण का कार्य एन०एच०पी०सी० द्वारा किया जा रहा है।

शेष 8 जिलों (बेगुसराय, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा ,खगड़िया, शेखपुरा, तथा कटिहार) में विद्युतीकरण का कार्य बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 4474.25 करोड़ रूपये है जिससे 22484 अदद अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकृत किया जाना है तथा 6454 विद्युतीकृत गाँवों में अतिरिक्त आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना है। अब तक 17363 गाँवों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। इस योजनान्तर्गत 171 अदद 33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना भी स्वीकृत है, जिसमें से 93 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अभी तक कुल 19,66,979 B.P.L आवासों को विद्युत संबंध दिया जा चुका है।

इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 3429 गाँवों को ऊर्जान्वित किया गया है तथा 19 सब–स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 2,30,801 B.P.L आवासों को विद्युत संबंध दिया जा चुका है।

फ्रेन्चाईजी व्यवस्था

ग्रामीण उपभोक्ताओं को ऊर्जा शक्ति प्रदान करने, उपभोक्ता की सेवा में सुधार करने तथा राजस्व में वृद्विके उद्देश्य से राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत वितरण के विभिन्न कार्यो को विकसित करने हेतु चरणबद्वतरीके से फ्रेंचाईजी व्यवस्था को लागू करने की योजना है। वर्तमान में 17 अदद् ग्रामीण फीडरों को फ्रेचाईजी पर दिया गया है। 125 अदद् ग्रामीण एवं 9 अदद् शहरी फीडरों को फ्रेंचाईजी पर देने हेतु L.O.I. निर्गत किया गया है।

खराब ट्रांसफार्मरों को बदलना

ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर मरम्मती की क्षमता में वृद्विकी गई है । 2010–11 में कुल 7762 अदद एवं 2011–12 (जनवरी 2012 तक) में कुल 6610 अदद पावर एवं वितरण ट्रांसफार्मर को मरम्मत किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष अभियान के तहत जले हुये ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्रवाई की जा रही है।

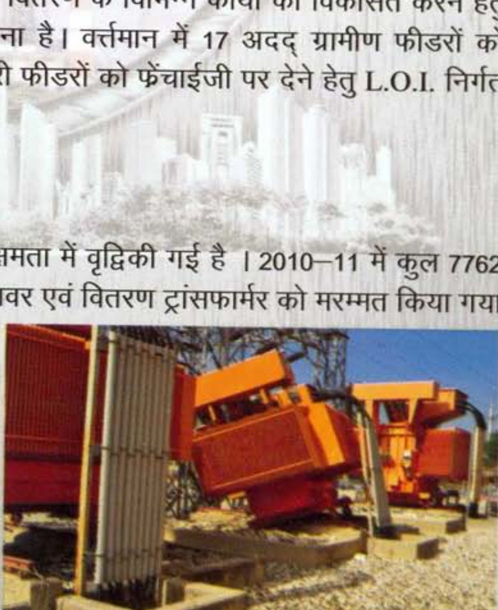

राज्य योजना के अंतर्गत खराब ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु नये वितरण/पावर ट्रांसफार्मर खरीदने एवं क्षमता विस्तार/अतिरिक्त ट्राँसफार्मर स्थापित करने की योजना चालू है। इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना के अंतर्गत 36.00 करोड़ रूपये का खर्च निर्धारित है।

वितरण प्रणाली के पुराने एवं जर्जर तारों को बदलना एवं विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण

राज्य के वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए और पुराने एवं जर्जर तारों से होने वाले विद्युत हानि एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 221.00 करोड़ रूपये की योजना चालू है। जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी अंचलों में पुराने और जर्जर तारों को लक्ष्य–बद्ध ढंग से बदलना है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में अभी तक कुल 12712 कि0मी0 तार बदला जा चुका है।

राज्य सरकार ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 40 स्थानों पर 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु कुल 70. 00 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकति प्रदान की है। बिहार सरकार द्वारा इस मद में 53.50 करोड़ रूपये की विमुक्ति पूर्व में की जा चुकी है। वर्ष 2011–12 में 15.45 करोड़ रूपये खर्च निर्धारित किया गया है। इसके अन्तर्गत 8 शक्ति उपकेन्द्रों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत 12 स्थानों पर 33/11 के0 वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 8 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

राजस्व वसूली

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राजस्व वसूली की वृद्धि हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में औसत राजस्व 153.03 करोड़ रूपये प्रतिमाह के तुलना में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में औसत राजस्व 213.64 (जनवरी, 2012 तक) करोड़ हो गया है। परिशिष्ट–1 संलग्न है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाए विद्युत के भुगतान हेतु वित्त आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया गया जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर विद्युत बकाए के ऊर्जा मद की राशि का भुगतान एवं डी0पी0एस. की राशि बोर्ड को राज्य सरकार से प्राप्त ऋण एवं उस पर देय सूद से समायोजन हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बकाए ऊर्जा मद की राशि के विरूद्ध क्रमशः 316.42 करोड़ रूपये एवं 543.60 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 860.02 करोड़ रूपये का भुगतान प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 368.79 करोड़ रूपये का विद्युत प्रभार मद में बजट प्रावधान किया गया है।

उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 31.03.2011 तक विभिन्न विभागों के पास बकाए डी0पी0एस0 राशि 2622.66 करोड़ रूपये का समायोजन राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को दिए गए ऋण एवं उस पर देय सूद की राशि से समायोजन करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि द्वितीय अनुपूरक बजट में जल संसाधन विभाग को 298.99 करोड़ रूपये, लोक स्वास्थ्य

अभियंत्रण विभाग को 117.74 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य विभाग को 0.90 करोड़ रूपये एवं निबंधन विभाग को 0.10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान प्राप्त हुआ है अर्थात चालू वित्तीय वर्ष में बकाए डी0पी0एस0 की राशि कुल 2622.66 के विरूद्ध 417.73 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान बोर्ड को सरकार द्वारा प्राप्त ऋण तथा देय सूद हेतु किया गया है।

निजी उपभोक्ताओं से भी राजस्व वसूली हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कदम उठाए गए हैं। सर्वप्रथम बोर्ड द्वारा वैसे उपभोक्ता, जिनके पास बकाया 1.00 लाख रूपये से अधिक है, को चिन्हित कर उनसे वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। वसूली नहीं होने पर बोर्ड के नियमानुसार उन्हें नोटिस निर्गत की जा रही है तथा इसके बाद भी वसूली नहीं होने पर उनका विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित किया जा रहा है। इसके बाद नियमानुसार सर्टिफिकेट केस दायर किया जा रहा है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 29 लाख उपभोक्ता हैं जिनका मासिक विद्युत विपत्र निर्गत/कलेक्शन आदि का कार्य 7 आपूर्ति क्षेत्र, 16 विद्युत आपूर्ति अंचल, 65 विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल एवं 200 विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि एवं कलेक्शन काउन्टर की सीमित संख्या के कारण उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान करने में हो रही कठिनाईयों से बोर्ड अवगत हैं। ज्यादातर गॉव के उपभोक्ताओं के लिए कलेक्शन काउन्टर काफी दूरी पर अवस्थित है जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी दूर जाकर विद्युत विपत्र की राशि जमा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से अधिक संख्या में कलेक्शन काउन्टर खेले जाय ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र की राशि जमा करने में सुविधा हो। सरकार के ई– गवर्नेस प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 27 जिलों में वसुधा केन्द्र के स्थापना हेतु आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार द्वारा श्रेई–सहज–ई विपेज लिमिटेड के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट (एस0एल0ए0) किया गया है। वर्तमान में 27 जिलों में 4942 सहज वसुधा केन्द्र कार्यरत है जिसके माध्यम से विद्युत विपत्र की राशि कलेक्शन कराया जा रहा है तथा अन्य जिलों में अवस्थित वसुधा केन्द्र से भी विद्युत विपत्र का भुगतान प्राप्त करने हेतु भी बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उक्त सुविधा के अतिरिक्त केनरा बैंक के डेबिट कार्डधारी उपभोक्ताओं को ऑनलाईन केनरा बैंक के माध्यम से बोर्ड के बेबसाईट www.bsebbills.org के द्वारा विद्युत विपत्र के भुगतान की सुविधा प्रदान की जा चुकी है एवं केनरा बैंक के डेबिट कार्डधारी पेसू क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ए0टी0एम0 के माध्यम से विद्युत विपत्र के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। ए0टी0एम0 कार्ड से विद्युत विपत्र के भुगतान की सुविधा अभी केवल पेसू क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ही प्राप्त है, बिहार के अन्य उपभोक्ताओं को भी भविष्य में यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। केनरा बैंक के द्वारा शीघ्र ही पेमेन्ट गेटवे लाया जा रहा है जिससे सभी Nationalised/ Scheduled बैंकों के ग्राहक भी इंटरनेट बैंकिंग तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से विद्युत विपत्र का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्डधारकों के लिए भी ऑनलाईन एवं एस0बी0आई0 के ए0टी0एम0 से विद्युत विपत्र की भुगतान की सेवा प्रदान करने के दिशा में कार्रवाई चल रही है जिसे शीघ्र कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त सुविधा के अतिरिक्त पेसू के उपभोक्ताओं को केनरा बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये ए0टी0पी0 मशीन के द्वारा भी भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है।

परिशिष्ट – 1

Statement showing Monthwise/Yearwise Revenue Receipt for the year 2008-09 to 2011-12

(Rs.in crore)

Sl. No.	Month	Year 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	April	108.26	164.44	171.18	182.96
2	May	111.96	162.91	144.19	178.62
3	June	115.50	141.69	151.78	159.76
4	July	129.92	154.37	187.78**	183.22
5	August	125.00	130.81*	154.32	203.14
6	September	126.88	121.08	426.28**	206.48
7	October	148.58	139.59	126.53	260.60
8	November	130.02	134.68	142.53	216.66
9	December	126.38	125.33	171.83	340.67**
10	January	130.76	129.68	235.72**	204.26
11	February	119.17	134.97	152.09	
12	March	662.31	372.12	629.59**	
	Total	**2034.75**	**1911.67**	**2693.82**	**2136.37**
	Collection excluding bulk arrear in March	1445.75	1689.24	1836.38	2063.73
	Average monthly collection	**120.48**	**140.77**	**153.03**	**213.64**

* Revenue realisation decreased due to additional supply to rural areas as per Govt. policy on account of drought w.e.f. July, 2009.

** Inclusive of bulk arrear of Rs. 37.40 crore in July, 2010, Rs. 300.55 crore in September, 2010, Rs. 90 crore in January, 2011, Rs. 429.49 crore March, 2011 and Rs. 72.64 crore in December, 2011.

बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) अवधि में इस निगम द्वारा नहर प्रणालियों पर लघु जल विद्युत परियोजनायें स्थापित करने के अलावा वृहद जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं की तलाश शुरू की गई ।

11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 तक निगम के सम्मुख ऐसी सम्भावनाओं की एक तस्वीर सामने आ गई थी क्योंकि तब तक कैमूर जिले में चार पम्प्ड स्टोरेज परियोजना स्थल तथा कोसी क्षेत्र में एक डागमारा चिन्हित किये जा चुके थे । इसी वर्ष वर्षों से लम्बित इन्द्रपुरी परियोजना के लिए भी कार्रवाई प्रारम्भ की गई ।

इन जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त 630 मेगावाट क्षमता के सृजन का जो प्रयास किया गया है उसके फलस्वरूप 2011–12 में निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रूप–रेखा तैयार की जा रही है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	जिला
1.	डागमारा	130 मे.वा.	सुपौल
2.	इन्द्रपुरी	450 मे.वा.	रोहतास
3.	सर्वे एवं अन्वेषण	50 मे.वा.	कोसी बेसिन
4.	डी.डी.जी. स्कीम	820 गॉव	कैमूर / गोपालगंज / किशनगंज इत्यादि

1. डागमारा जल विद्युत गृह (130 मेगावाट) :

कोशी प्रक्षेत्र में सन् 2007 में अन्वेषी सर्वेक्षण के क्रम में सुपौल जिलान्तर्गत भपटियाही प्रखण्ड में बड़े जल विद्युत गृह को संस्थापित करने की संभावना परिलक्षित हुई है । इस परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत (Pose) किया गया । फ्रांस की विकास एजेन्सी (ए.एफ.डी.) बैंक द्वारा इस परियोजना का डी.पी.आर. प्राप्त होने पर ऋण देने की अभिरूचि प्रकट की गई है ।

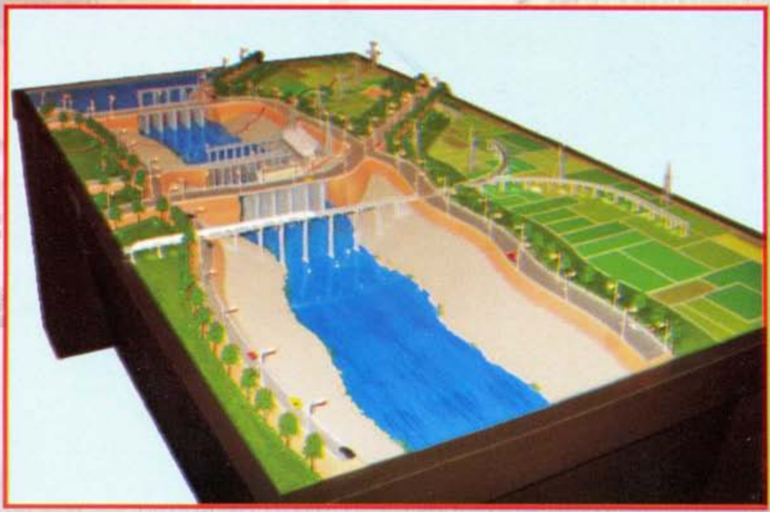

इस परिप्रेक्ष्य में ही राज्य सरकार द्वारा डी.पी.आर. बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा डी.पी.आर. भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई । उक्त प्रस्ताव में परियोजना के कारण नेपाल क्षेत्र में डूब की स्थिति पैदा होने के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण / केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत नहीं की गई तथा परियोजना को नदी में और नीचे की तरफ विस्थापित करने का सुझाव दिया गया। अतः मेसर्स वाप्कोस से पुनरीक्षित डी.पी.आर. तैयार कर अनुमोदन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जमा कर दिया गया है ।

2. **इन्द्रपुरी जल विद्युत गृह (450 मेगावाट) :**

उपरोक्त परियोजनाओं में इन्द्रपुरी (450 मेगावाट) सन् 1987 से लंबित रही है । बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार के साथ समन्वय स्थापित कर और उसकी सहमति प्राप्त कर इस परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

इसी क्रम में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंटूर सर्वे एवं प्रोपर्टी लाइन सर्वे कराया जा रहा है । मार्च 2012 तक सर्वे कार्य समाप्त होने की सम्भावना है । इसके पश्चात् पुनरीक्षित डी.पी.आर. तैयार किया जायेगा ।

3. **लघु जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से कम क्षमता की) :**

सम्प्रति निगम के निम्नलिखित 13 (तेरह) जल विद्युत गृह, कुल संस्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट उत्पादनरत् हैः–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1.	पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, वाल्मीकिनगर	प0 चम्पारण	15
2.	सोन पश्चिमी संयोजक नहर जल विद्युत परियोजना, डिहरी	रोहतास	6.6
3.	सोन पूर्वी संयोजक नहर जल विद्युत परियोजना, बारूण	औरंगाबाद	3.3
4.	कोसी जल विद्युत केन्द्र, कटैया	सुपौल	19.2
5.	अगनूर जल विद्युत परियोजना	अरवल	1
6.	ढ़ेलाबाग जल विद्युत परियोजना	रोहतास	1
7.	नासरीगंज जल विद्युत परियोजना	रोहतास	1
8.	त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना	प0 चम्पारण	3
9.	जयनगरा जल विद्युत परियोजना	रोहतास	1
10.	सेवारी जल विद्युत परियोजना	रोहतास	1
11.	सिरखिण्डा जल विद्युत परियोजना	रोहतास	0.7
12.	अरवल जल विद्युत परियेाजना	अरवल	0.5
13.	बेलसार जल विद्युत परियोजना	अरवल	1

4. **इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित 11 (ग्यारह) परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है**

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1.	तेजपुरा	औरंगाबाद	1.5
2.	रामपुर	रोहतास	0.25
3.	अमेठी	रोहतास	0.50
4.	नटवार	रोहतास	0.25
5.	पहरमा	रोहतास	1.0
6.	राजापुर	सुपौल	0.7
7.	बथनाहा	सुपौल	8
8.	निर्मली	सुपौल	7
9.	डेहरा	औरंगाबाद	1
10.	सिपहा	औरंगाबाद	1
11.	अरारघाट	मधेपुरा	7

5. **वार्षिक योजना (2011–12) :**

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए विभाग द्वारा रू0 4576.00 लाख का उद्व्यय निर्धारित किया गया है जिसे निम्नवत् व्यय करने का प्रस्ताव है:–

Sl. No.	Name of Schemes	Amount Rs. in lacs	Remarks
1.	Construction of Dhoba, Katanya, Mathauli & Barbal SHPs.	816.00	On going Schemes
2.	Construction of Bathanaha run-off-river project (Kosi basin)	1000.00	- do -
3.	Construction of Dehri Escape Channel & Nirmali Project	1460.00	- do -
4.	Construction of Dehra & Sipha SHPs under RIDF- XVI	800.00	New Schemes
5.	Reimbursement of expenditure incurred on preparation of DPR of Dagmara HEP	500.00	- do -
	Total Rs:	**4576.00**	

वित्तीय वर्ष 2009–10 में नाबार्ड RIDF XV के अन्तर्गत रन–ऑफ–रिभर बथनाहा (8 मेगावाट) वित्तीय वर्ष 2010–11 में RIDF-XVI के अन्तर्गत दो परियोजनाओं निर्मली एवं डिहरी इस्केप, वर्ष 2011–12 में RIDF-XVII के अन्तर्गत डेहरा, सिपहा तथा आर.आइ.डी.एफ. XVIII के अन्तर्गत अरारघाट जल विद्युत परियोजना के लिए निम्नवत् ऋण स्वीकृत किया गया है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	प्राक्कलित राशि	नाबार्ड ऋण
1.	बथनाहा	8.0	6937.35	5649.67
2.	निर्मली	7.0	6561.89	6186.87
3.	डिहरी इस्केप	3.3	1184.22	1120.26
4.	डेहरा एवं सिपहा	2.0	2723.00	2526.93
5.	अरारघाट	7.0	6544.00	6207.30

बथनाहा, निर्मली, डिहरी इस्केप, डेहरा एवं सिपहा परियोजनाओं के निर्माण हेतु संवेदकों का चयन करते हुए कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा अरारघाट जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

1. आर.आइ.डी.एफ. के तहत विभिन्न ट्रेन्चों में कुल 9 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ है । इसके लिए कुल रू. 9190.00 लाख वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित है।

   नए स्कीम के अन्तर्गत वाल्मीकिनगर इस्केप चैनेल, कोसी बेसिन के विभिन्न लघु जल विद्युत परियोजना, डागमारा एवं इन्द्रपुरी जल विद्युत परियोजना के लिए कुल रू0 5000.00 लाख इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

   राज्य योजना के तहत 12 (बारह) परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में कुल रू0 6740.00 लाख प्रस्तावित है।

2. **सिस्टम इम्प्रुममेंट**– नहर से सिंचाई के लिए मात्र आठ महीने ही विद्युत संयंत्र को जलश्राव उपलब्ध होता है। फलस्वरूप चार महीने इस परियोजना में विद्युत उत्पादन संभव नहीं हो पाता है । इस्केप चैनेल निर्माण से इस समस्या का निदान संभव होगा । डिहरी एवं वाल्मीकिनगर परियोजनाओं के इस्केप निर्माण हेतु एजेन्सी का चयन हो चुका है । डिहरी इस्केप हेतु नाबार्ड ऋण स्वीकृत हो चुका है तथा स्थल पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

3. **सर्वे एवं अन्वेषण**– विद्युत उत्पादन हेतु नये स्थलों का चयन करने के लिए सर्वे एवं अन्वेषण के मद में रू. 600.00 लाख की आवश्यकता है ।

4. **डी.डी.जी. स्कीम**– इस योजना के तहत सुदूरवर्ती गॉव जहॉ ग्रिड से बिजली या तो संभव नहीं है या आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, के लिए इस निगम को जुलाई,2011 में कार्यकारी एजेंसी घोषित किया गया है । वर्तमान में 820 गॉवों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 196 उग्रवाद प्रभावित गॉव है । 71 डी.पी.आर. जमा हो चुका है तथा 165 गॉवों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है जिसका डी.पी.आर. जमा किया जा रहा है । इस वर्ष 100 गॉवों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है ।

5. **प्रशिक्षण**– निगम के कर्मचारियों / पदाधिकारियों के कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रशिक्षण मद में रू0 200.00 लाख की आवश्यकता है ।

बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी

21वीं शताब्दी का शुभारम्भ इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इस सदी में भारत का चहुमुखी विकास ऊर्जा की बढ़ती मांग पर आधारित है। अनुमान है कि पारम्परिक ऊर्जा स्रोत यथा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, आदि के श्ंडार वर्त्तमान दर से उपयोग किये जाने पर इस शताब्दी की समाप्ति से काफी पहले ही समाप्त हो जायेंगे ।

ऊर्जा समस्या के निदान में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत का विकास एक महत्वपूर्ण विकल्प है। गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की परियोजनाओं का राज्य में ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ब्रेडा) द्वारा तत्परता से कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में कार्यान्वित करने के लिए कुल 1052.53 लाख रू० का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत 560 अदद 2 एच०पी० 1.8 KWh के सोलर पम्प, 2–5 मीटर जल स्तर वाले कुल 10 प्रखण्डों में अधिष्ठापन की नई योजना का प्रस्ताव है। यह योजना बिहार सौरक्रान्ति सिंचाई योजना के नाम से जानी जायेगी।

राज्य की थरूहट क्षेत्र में थारू महिला स्वंय सहायता समूह (मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अन्तर्गत गठित थारू समूह) के सदस्यों (BPL परिवार) को एक एक सोलर लैर्न्टन एवं 267 गावों में 6 अदद सोलर स्ट्रीट लाईट प्रति ग्राम (कुल 1602 अदद) उपलब्ध कराने की योजना का प्रस्ताव है।

माननीय मुख्यमंत्री आवास में सौर गरम पानी संयंत्र 800 से 1000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गरम पानी संयंत्र अधिष्ठापन करने की योजना पर कार्रवाई की जा रही है।

राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत के विकास एवं संवर्द्धन के लिए प्रदर्शनी कार्यक्रम अन्तर्गत सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में माननीय मुख्यमंत्री आवास, आवासीय कार्यालय एवं परिसर को सौर ऊर्जा से अच्छादित करने का प्रस्ताव है।

राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं पर तीन स्थानों – सिमुलतल्ला (जमुई), एवं लालगंज (वैशाली) में अध्ययन कार्य समाप्त हो चुका है तथा अधौरा (कैमूर) में अध्ययन कार्य कराया जा रहा है। द्वितीय चरण मे दो स्थानो बोधगया (गया),एवं मुंगेर मे पवन वेग का अध्ययन प्रारम्भ हो गया है। अभी रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) मे मास्ट का अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है। अध्ययन के बाद निर्धारित पवन वेग प्राप्त होने पर विधुत उत्पादन का यह स्रोत शी राज्य के लिए लाभकारी होगा।

नक्सल प्रभावित ज़िलो मे 20–20 के कलस्टर के गाँवो मे सोलर चार्जिग स्टेशन एवं बायोमास गैसीफायर द्वारा विधुत आपूर्ति के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान का आश्वासन दिया गया है। इसे प्रभावी करने के लिए औरगांबाद एवं नवादा में कार्रवाई की जा रही है।

आलोच्य वर्ष में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजभवन, सभी सचिवालय भवनों, विधान मंडल भवन, श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र तथा उद्योग भवन सहित 16 भवनों में Energy Audit (ऊर्जा अंकेक्षण) का कार्य सम्पन्न हुआ है। इससे सरकारी भवनों में ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलेगी।

राज्य में बायोमास की बहुलता को देखते हुये राज्य के चावल मिलों, कोल्ड स्टोरेज, रौलिंग मिलों आदि में निजी उपयोग हेतु बायोमास गैसीफायर (विभिन्न क्षमता) अधिष्ठापित किये गये है जिनसे लगभग 6.00 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। बायोमास गैसीफायर में विपुल संभावना है जिसके दोहन हेतु ब्रेडा अनेक योजनाओं को अमलीजामा पहना रहा है, साथ ही ब्रेडा बिहार के ऊर्जा भविष्य को ध्यान में रखते हुए गैरपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में अपने–आप को पुनर्गठित कर प्रभावी भूमिका निभाने को तत्पर है।

संस्थाओं द्वारा पी०पी०पी० मोड में 2–3 गॉव के कलस्टर में विभिन्न स्थलों पर 20 बायोमास गैसीफायरों का अधिष्ठापन किया गया है। जिससे ग्रामीण जनता को विद्युत सुविधा मिल रही है।

सोलर पावर प्लांट के लिए 2 मे०वा० से 10 मे०वा० तक के करीब 550 मे०वा० के प्रस्ताव एस०आई०पी०बी० के माध्यम से प्राप्त हुए है। साथ ही विभिन्न स्रोतों द्वारा बायोमास पावर प्लान्ट से 750 मे०वा० के क्रियान्वयन हेतु ब्रेडा कृतसंकल्प है।

विद्युत कार्य संगठन एवं विद्युत निरीक्षणालय

विद्युत कार्य संगठन :–

विद्युत कार्य संगठन के अन्तर्गत मुख्य रूप से राज्य में सरकारी भवनों और अन्य आवासीय एवं गैर–आवासीय सरकारी भवनों में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य एवं उपकरणों का संपोषण एवं अधिष्ठापन तथा अति विशिष्ट अतिथियों के बिहार भ्रमण के दौरान अस्थायी विद्युतीकरण का कार्य सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कराया जाता है। उपरोक्त कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में मुख्य शीर्ष 2059 के तहत 8,52,36,300 (आठ करोड़ बावन लाख छतीस हजार तीन सौ रूपये) का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 4059 के तहत 5,50,00000 (पॉच करोड़ पचास लाख रूपये) का प्रावधान विभिन्न भवनों के विद्युतीकरण के आधुनिकीकरण के लिए किया गया है।

विद्युत निरीक्षणालय :

विद्युत निरीक्षणालय के द्वारा विद्युत अधिनियम 2009 तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 एवं सिनेमा फोटोग्राफी एक्ट के तहत कार्य संपादित किया जाता है, जिसका व्यौरा निम्नलिखित है :–

		2010–11	2011–12
1.	विद्युत निरीक्षणालय के विद्युत अधिष्ठापन का विवरणी दिनांक 01.04.2011 से 31.01.2012 तक।		
	(क) उच्च चाप	651	690
	(ख) मध्यम चाप	161	158
	(ग) सिनेमा	141	161
	(घ) भिडिओ हॉल	135	81
2.	**विद्युत लाईसेन्स स्वीकृति सम्बन्धी विवरणी :–**		
	(क) विद्युत ठिकेदार अनुज्ञा–पत्र	132	136
	(ख) क्षमता प्रमाण–पत्र	000	91
	(ग) तार कर्मी अनुमति–पत्र	01	143
3.	**विद्युत लाईसेन्स नवीकरण संबंधी विवरणी :–**		
	(क) विद्युत ठिकेदार अनुज्ञा–पत्र	873	936
	(ख) क्षमता प्रमाण–पत्र	191	167
	(ग) तार कर्मी अनुमति–पत्र	182	156
4.	**विद्युत दुर्घटना संबंधी विवरणी :–**	08	08
5.	उपरोक्त श्रोतों से वर्ष 2011–12 में राजस्व प्राप्ति लक्ष्य :–	70,00,000.00	
6.	उपरोक्त श्रोतों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिनांक 31.01.2012 तक प्राप्ति राजस्व :–	75,46,061.00	
7.	(क) स्थापना पर वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन :–	1,04,89,000.00	
	(ख) स्थापना पर वर्ष 2011–12 में व्यय विवरणी दिनांक 31.01.2012 तक :–	71,27,138.00	
	(ग) वित्तीय वर्ष 2010–11 का कुल व्यय :–	76,19,609.00	
8.	वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल राजस्व प्राप्तियॉ :–	72,81,749.00	

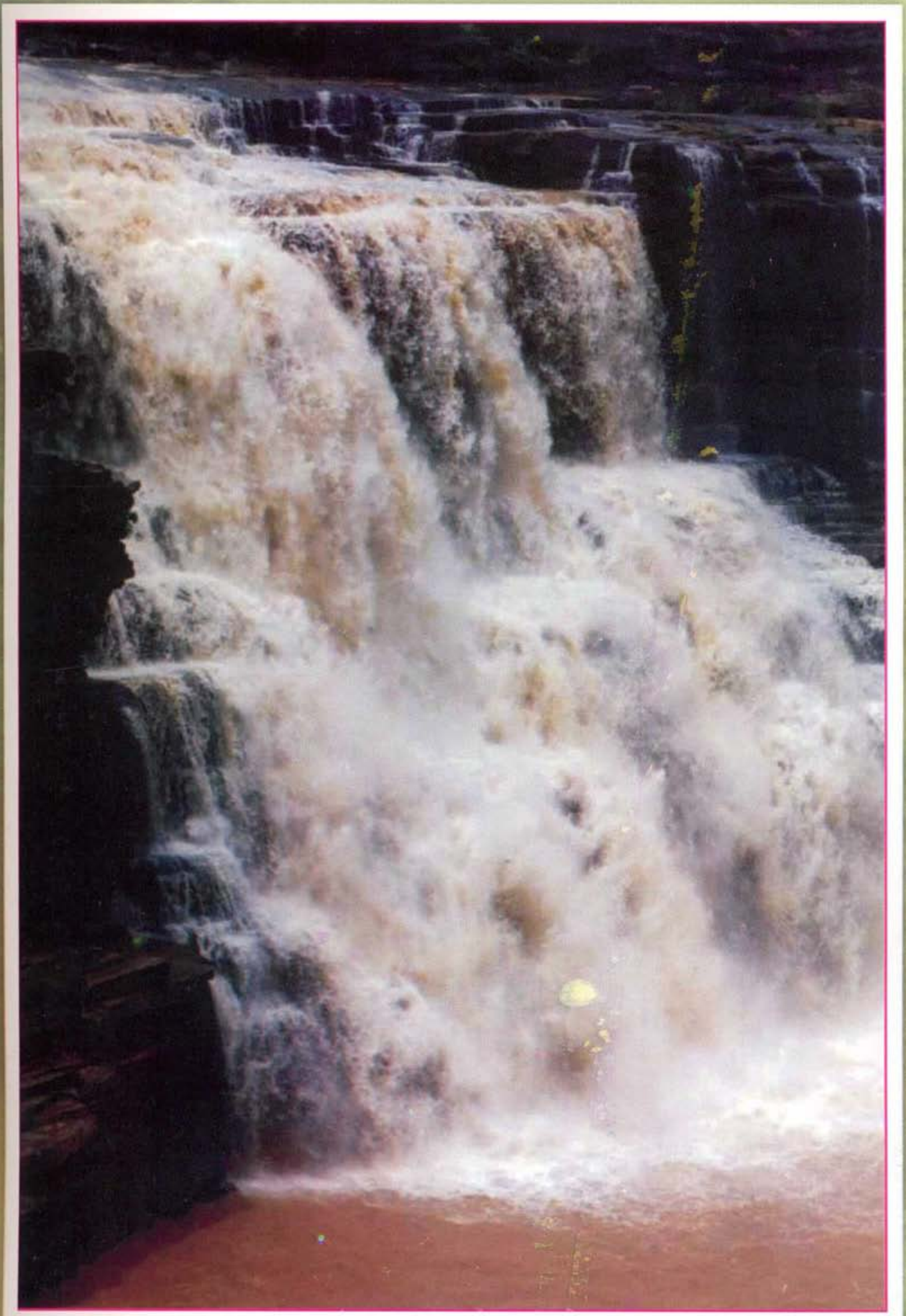

हथियादह–दुर्गावती पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना (1600 मेगावाट)

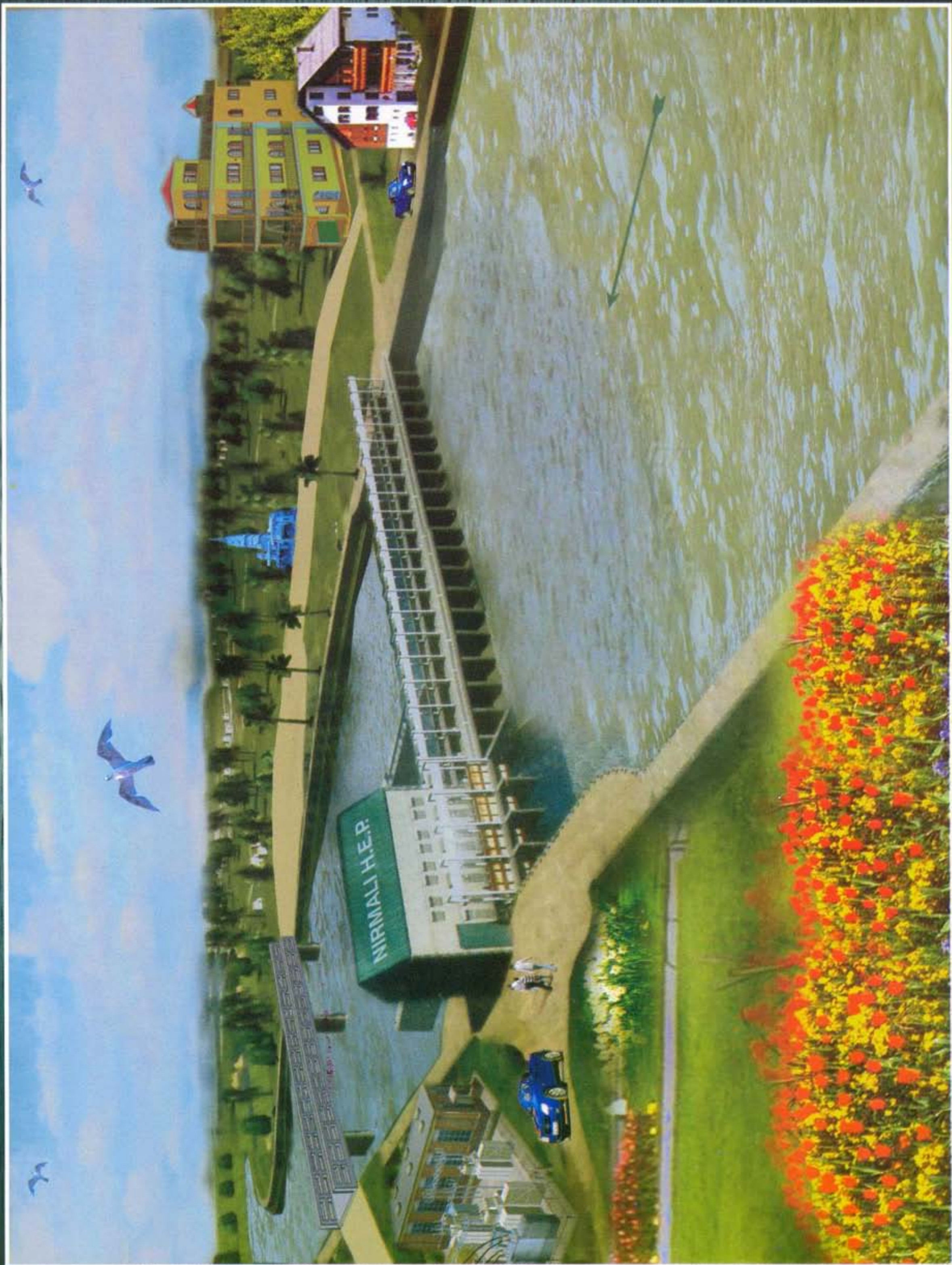

Printed by : DRISHTY ART PRINTERS, Mob. : 9835476121